UPPG160041332022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़ ।

मीना देवी बनाम संतोष कुमार यादव आदि।

प्रकीर्णवाद संख्या–65/2022
थाना–नवाबगंज, प्रतापगढ़।

दिनांक–17.12.2022

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता आदेशार्थ पेश हुआ। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनी/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता मुल्जिमानों के विरूद्ध थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराकर थानाध्यक्ष को विवेचना हेतु आदेशित किये जाने के आशय से इन कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी मीना देवी ग्राम कुलुबनपुर ग्राम पंचायत मधवापुर तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ की निवासिनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिनांक–22.01.2021 को चालिस हजार रुपया प्रार्थिनी के खाता संख्या–35761625100 में भारतीय स्टेट बैंक में जमा हुआ तथा 70 हजार रुपये दिनांक–08.02.2021 को जमा हुआ। प्रार्थिनी एक अनपढ़ महिला है, जो अंगूठा लगाती है पैसा आने की सूचना मिलने पर मैं अपने ग्राम के संतोष कुमार यादव सुत छोटेलाल यादव निवासी ग्राम मधवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ जो एस०बी०आई० बैंक की टाइनी चलाते हैं तथा आवास योजना के पैसों का लेन–देन करते हैं, के पास दिनांक–23.01.2021 को गयी तो उन्होने आधार कार्ड माँगा और प्रार्थिनी का अंगूठा लगवाया और बताया कि 40 हजार रुपये आ गये है, दूसरी किस्त दिनांक–08.02.2021 को जानकारी हेतु दिनांक–10.02.2021 को टाइनी संचालक संतोष कुमार यादव के पास गयी तो उन्होने आधार कार्ड एवं अंगूठा लगाकर बताया कि 70 हजार रुपये आ गये। इसके बाद प्रार्थिनी बराबर लेन–देन करती रही, कुछ दिनों बाद प्रार्थिनी अपनी शाखा भारतीय स्टेट बैंक परियावा गयी तो मैनेजर साहब टाल–मटोल कर दिया, अन्तत्वोगत्वा दिनांक–26.10.2021 को प्रार्थिनी को बैंक से स्टेटमेन्ट प्राप्त हुआ, घर जाकर अपने बच्चों से स्टेटमेन्ट पढ़वाया तब जाकर पता चला कि उक्त संतोष यादव व अजीत यादव सुतगण छोटेलाल, सीतापति पत्नी सुरेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार सुत सुरेश यादव, श्यामपति पत्नी राजकुमार मिलीभगत व साजिश करके प्रार्थिनी के खाते से दिनांक–23.01.2021 व दिनांक–10.02.2021 को 10–10 हजार रुपये निकाल लिये। उक्त लोगों ने प्रार्थिनी के साथ विश्वासघात किया जो व्यवसायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने जब अपने बीस हजार रुपये की माँग की तो कहा कि आप परेशान न हो, गलती हो गयी है, आपका पैसा दे दिया जायेगा। दिनांक–28.10.2021 को प्रार्थिनी जब पैसे की माँग हेतु गयी तो उक्त लोगों ने प्रार्थिनी को गाली, गुप्ता देकर बेईज़्ज़त करके भगा दिया। इस घटना को गाँव के तमाम लोगों ने देखा और बीच–बचाव किया। उक्त लोगों ने यह भी कहा कि जिनका–जिनका आवास आया सब लोगों ने बीस–बीस हजार रुपये दिया है, मैने पैसा ले लिया है चाहे जहाँ शिकायत करो, कुछ भी नहीं होगा।

इतना ही नहीं उक्त लोगों ने मेरे अलावा गाँव की अनीता पत्नी वीरेन्द्र कुमार सरोज, गुलाबकली पत्नी अमरनाथ, फूलमती पत्नी जीतलाल के साथ उक्त लोगों ने इसी तरह मिलीभगत व साजिश करके बीस–बीस हजार रुपये निकाल लिये हैं। घटना की सूचना सक्षम अधिकारियों को दिया गया, किंतु उक्त मिलीभगत व साजिश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी के अलावा कई ग्रामीणों के निर्माण रूके हुए हैं। उक्त घटना की जानकारी होने के उपरान्त प्रार्थिनी ने थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ में सूचना दिया, थाने द्वारा जाँच करके कार्यवाही किये जाने का आश्वासन मिला, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने सूचना थाना स्थानीय व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को जरिये रजिस्ट्री दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार थाना स्थानीय पर प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में चूंकि आवेदिका को समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व पक्षों की जानकारी है, इसी अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि–व्यवस्था **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001(43) ए.सी.सी. 50 तथा सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(6) ए.एल.जे. 424 माननीय उच्च न्यायालय,** इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है तथा प्राथमिकी दर्ज कराना बाध्यकारी नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०स० दिनांक–20.01.2023 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।